यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत के माह 11/2010 से 10/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनॉक 30.11.2018 से 04.12.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी0पी0 सिंह एवं श्री प्रेमचन्द्र, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 22.11.2010 से 03.12.2010 तक श्री ए0के0 चौधरी, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 12/2007 से 10/2010 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2010 से 10/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करावाने, निरीक्षण, अनुश्रवण, निर्माण सम्बन्धी कार्यों का भौतिक सत्यापन, गृह परीक्षा, परिषदीय परीक्षा के आयोजन, संचालन एवं अनुश्रवण तथा वेतन भत्तों इत्यादि समस्त माध्यमिक विद्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र माध्यमिक विद्यालयों हेतु सम्पूर्ण जनपद चम्पावत है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2010–11	–	–	7161.06	7159.15	250.71	243.86	–	1.91	–	6.85
2011–12	–	–	8232.62	8230.53	208.67	208.65	–	2.09	–	0.02
2012–13	–	–	732.32	743.12	695.68	699.87	10.80	–	4.19	–
2013–14	–	–	82.40	82.40	114.60	114.60	–	–	–	–
2014–15	–	–	139.19	139.19	27.02	27.02	–	–	–	–
2015–16	–	–	248.67	243.61	4.20	4.20	–	5.06	–	–
2016–17	–	–	237.94	198.31	74.80	74.45	–	39.63	–	0.35
2017–18	–	–	320.33	249.12	–	–	–	71.21	–	–
2018–19 upto (10/18)	–	–	302.07	215.86	–	–	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2010–11	– शून्य –	–	–	–	–	–
2011–12		–	–	–	–	–
2012–13		–	–	–	–	–
2013–14		–	–	–	–	–

2014–15		–	–	–	–	–
2015–16		–	–	–	–	–
2016–17		–	–	–	–	–
2017–18		–	–	–	–	–
2018–19 upto (10/18)		–	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन समस्त मदों हेतु निदेशालय से प्राप्त होता है। स्थापना (Non-Plan) व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''स'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

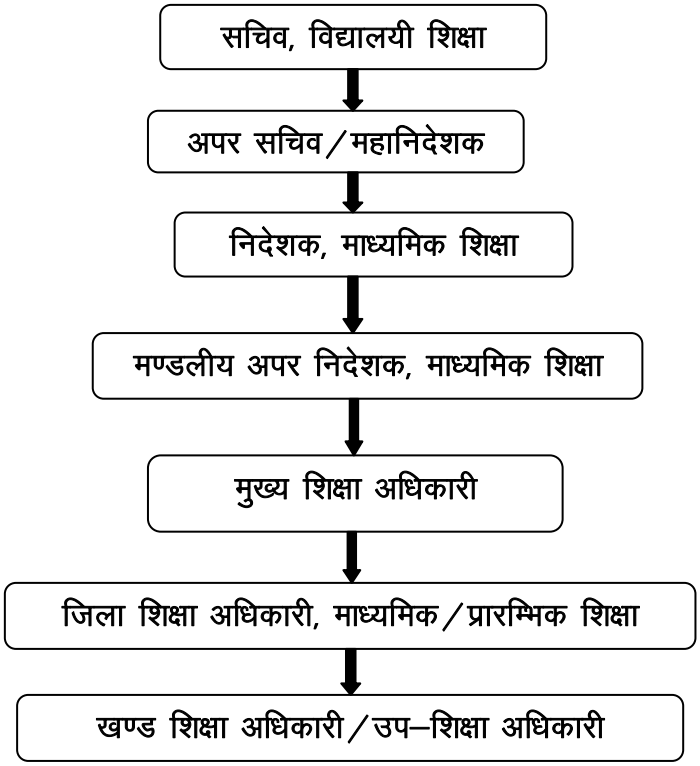

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पर्थक–पर्थक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2013, मार्च 2014, मार्च 2017 एवं अक्टूबर 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके आहरण एवं संवितरण प्राप्त होने तथा अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: अनुसूचित जाति/जनजाति के 5,566 छात्र–छात्राओं को रु0 37.15 लाख की एकमुश्त पुस्तकीय सहायता से बंचित रखा जाना।

शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु शिक्षा सत्र 2016–17 से कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत लाभार्थी छात्र–छात्राओं को एकमुश्त पुस्तकीय सहायता धनराशि रु0 600.00, कक्षा 11 एवं 12 में विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु रु0 1000.00 एवं विज्ञानेत्तर वर्ग में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु रु0 700.00 की दर से प्रति लाभार्थी बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया (15.11.2016) तथा शासनादेश संख्या 157/XXIV-3/17/02(22)2013 दिनॉक 08 मार्च 2017 द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गये। दिशा–निर्देशों के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी छात्र–छात्राओं हेतु एकमुश्त सहायता धनराशि की **माँग** 30 सितम्बर की स्थिति के अनुरुप प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेंगे तथा बजट निर्गत होने के उपरान्त लाभार्थी छात्र–छात्राओं के बचत खाते में डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से निर्धारित धनराशि अन्तरित करेंगे। इसी परिपेक्ष में कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति के 5,124 तथा अनुसूचित जनजाति के 219 छात्र–छात्राओं को एकमुश्त पुस्तकीय सहायता राशि प्रदान करने हेतु रु0 35,27,200.00 की मॉग प्रेषित की गई (30.11.2016)। शासन द्वारा सम्पूर्ण राशि रु0 35,27,200.00 शासनादेश संख्या 302/XXIV-3/17/02 (22)2013 दिनॉक 21 मार्च 2017 में स्वीकृत की गई।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं को एकमुश्त पुस्तकीय सहायता से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा स्वीकृत राशि रु0 35,27,200.00 (चैक सं0 721407 : रु0 1,66,300, सं0 721408 : रु0 10,00,000, सं0 721409 : रु0 13,60,900 एवं सं0 721410 : रु0 10,00,000 कोषागार से 31 मार्च 2017 को आहरित कर बैंक बचत खाते में स्थान्तरित की गई (01.06.2017)। कार्यालय द्वारा कुल मॉग की गई अनुसूचित जाति के 5,124 तथा अनुसूचित जनजाति के 219 छात्र–छात्राओं के सापेक्ष अनुसूचित जाति के मात्र 1,459 (29%) तथा अनुसूचित जनजाति के 41 (19%) छात्र–छात्राओं को ही एकमुश्त पुस्तकीय सहायता राशि रु0 9,86,700.00 प्रदान की गई (12.10.2017) तथा अनुसूचित जाति के 3,665 छात्र–छात्राओं एवं अनुसूचित जनजाति के 178 छात्र–छात्राओं हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 25,40,500.00 को छात्रों को दिया ही नहीं गया। कार्यालय द्वारा अवशेष धनराशि रु0 25,40,500.00 बैंक खाते में ही 16 माह तक अवरुद्ध रखकर दिनॉक 11.10.2018 में चालान द्वारा राजकोष में जमा की गई। इसीप्रकार, शिक्षा सत्र 2017–18 में कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के 3,820 तथा अनुसूचित जनजाति के 39 छात्र–छात्राओं हेतु रु0 25,80,700.00 की मॉग प्रेषित की गई (02.11.2017)। जिसके सापेक्ष शासन द्वारा सम्पूर्ण राशि रु0 25,80,700.00 शासनादेश संख्या 455/XXIV-3/18/02 (22)2013 टी0सी0 दिनॉक 27 मार्च 2018 में स्वीकरॅत की गई। कार्यालय द्वारा स्वीकृत राशि रु0 25,80,700.00 में से रु0 25,54,800.00 कोषागार से आहरित कर बैंक बचत खाते में स्थान्तरित की गई (27.04.2018)। उक्त **स्वीकृति** के सापेक्ष अनुसूचित जाति के मात्र 2,136 (56%) छात्र–छात्राओं को ही एकमुश्त पुस्तकीय सहायता राशि रु0 14,05,900.00 प्रदान की गई (21.06.2018 से 05.07.2018) तथा अनुसूचित जनजाति के किसी भी छात्र–छात्राओं को पुस्तकीय सहायता प्रदान नहीं की गई। अतः अनुसूचित जाति के 1,684 छात्र–छात्राओं एवं अनुसूचित जनजाति के 39 छात्र–छात्राओं हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 11,74,800.00 को छात्रों को दिया ही नहीं गया। कार्यालय द्वारा अवशेष धनराशि रु0 11,48,900.00 बैंक खाते में ही 06 माह तक

अवरुद्ध रखकर दिनॉक 11.10.2018 में चालान द्वारा राजकोष में जमा की गई तथा रु0 25,900.00 का आहरण ही नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त जॉच में यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं को एकमुश्त पुस्तकीय सहायता राशि को वित्तीय वर्ष के पठन–पाठन के समाप्त होने के पश्चात् उनके बैंक खातों में अन्तरण किया गया जो यह सिद्ध करता है कि छात्र–छात्राओं द्वारा स्वयं अपने वित्त से पुस्तकों का Øय किया गया तथा शासन द्वारा दी गई धनराशि एकमात्र उस राशि की प्रतिपूर्ति है। कार्यालय द्वारा स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार से आहरित कर व्यय के रुप में दर्शाया गया, जबकि धनराशि वास्तविक रुप से आगामी वर्षों में माह अक्टूबर 2017 एवं जून–जुलाई 2018 में छात्र–छात्राओं को अवमुक्त की गई। **विस्तृत** विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	मद	मॉग		स्वीकृत		अवमुक्त		अवशेष	
		छात्रों की संख्या	धनराशि	छात्रों की संख्या	धनराशि	छात्रों की संख्या	धनराशि	छात्रों की संख्या	धनराशि
2016–17	अनुसूचित जाति	5124	3360900.00	5124	3360900.00	1459	955300.00	3665	2405600.00
	अनुसूचित जनजाति	219	166300.00	219	166300.00	41	31400.00	178	134900.00
2017–18	अनुसूचित जाति	3820	2554800.00	3820	2554800.00	2136	1405900.00	1684	1148900.00
	अनुसूचित जनजाति	39	25900.00	39	25900.00	–	–	39	25900.00
योग :–		**9202**	**6107900.00**	**9202**	**6107900.00**	**3636**	**2392600.00**	**5566**	**3715300.00**

इसप्रकार, शिक्षा सत्र के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं को एकमुश्त पुस्तकीय सहायता राशि प्रदान न किए जाने तथा धनराशि को बैंक खाते में रखकर न केवल धनराशि का अनावश्यक अवरोधन किया गया अपितु दोनों वर्षों में 5,566 लाभार्थियों को भी रु0 37.15 लाख की वित्तीय सहायता से बंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि छात्र–छात्राओं के डी0बी0टी0 खाते अद्यतन उपलब्ध न होने के कारण धनराशि निर्गत नहीं की जा सकी। धनराशि बैंक खाते में रखे जाने के सम्बन्ध में बताया कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में धनराशि प्राप्त होने के कारण धनराशि आहरण कर बैंक खाते में रखी गई ताकि लाभार्थियों को धनराशि प्रदान की जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय की कुल मॉग के अनुरुप ही शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई तथा बैंक खाते में आहरण के उपरान्त अविलम्ब लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए थी जो कि कोषागार से आहरण के उपरान्त 06 से 16 माह विलम्ब से की गई।

अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के 5,566 छात्र–छात्राओं को रु0 37.15 लाख की एकमुश्त पुस्तकीय सहायता से बंचित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: रु0 10.83 करोड कोषागार से आहरित धनराशि की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 9.82 करोड के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी फार्म जी0ए0आर0–3 में रोकड बही का रख–रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन–देनों के घटित होने पर उसमें प्रविष्टि करेगा। माह के अन्त में रोकड बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाण– पत्र स्वहस्तालेख में अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 3/xxvii(6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के विन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत की लेखापरीक्षा अवधि (11/2010 से 10/2018) की रोकड बही की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2018 तक की कोई रोकड बही तैयार नहीं की गई थी, जबकि उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा बी0एम0–5 के अनुसार कोषागार से रु0 10.83 करोड की धनराशि आहरित कर व्यय की गई **(संलग्नक–1)**। लेखापरीक्षा दल द्वारा कोषागार के बी0एम0–5 का मिलान स्वीकृत जॉच हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों से ही किया गया। कार्यालय में रोकड बही न होने के कारण अंकगणितीय शुद्धता की भी जॉच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में विस्तरित जॉच हेतु चयनित माह मार्च 2013 के रु0 7.11 करोड एवं मार्च 2014 के रु0 1.17 करोड के सम्पूर्ण व्यय वाउचर लेखापरीक्षा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये तथा माह मार्च 2017 के रु0 68.58 लाख एवं अक्टूबर 2018 के रु0 45.29 लाख के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये, जिसके कारण लेखापरीक्षा में उक्त व्यय की सत्यापन जॉच नहीं की जा सकी। इसप्रकार, चयनित माहों के कुल रु0 9.42 करोड **(संलग्नक–2)** के व्यय वाउचरों की अप्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरुप लेखापरीक्षा में जॉच नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त लेन–देन कोषागार से खातों में किए जाने के कारण रोकड बही तैयार नहीं की गई। आगामी वर्ष से रोकड बही तैयार कर प्रविष्टियॉ अंकित की जाएगी। व्यय वाउचरों के अप्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्तमान में उक्त व्यय वाउचर उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रस्तुत नहीं किए गये, जिन्हें प्राप्त होते ही सूचित कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड बही का रख–रखाव कर प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी तथा व्यय वाउचरों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

अतः कोषागार से आहरित धनराशि रु0 10.83 करोड की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 9.82 करोड के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1: आवास भत्ते के रुप में रु0 11,700 का अधिक भुगतान।

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, चंपावत के आवंटन आदेश संख्या 844/कोष/2017-18, दिनांक 20.09.2017 द्वारा सुश्री मीनक्षी, अनुसेविका को कोषागार आवासीय भवन टाइप-1 संख्या A-3 आवंटित हुआ था, जिसकी शर्तों के अनुसार उन्हे कोई आवास भत्ता अनुमन्य नहीं था।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शिक्षा) चम्पावत में कार्यरत सुश्री मीनक्षी, अनुसेविका के वेतन बिलों एवं आवास आवंटन से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सुश्री मीनक्षी को अक्तूबर 2017 से लगातार रु. 900.00 की दर से उनके वेतन के साथ आवास भत्ता दिया जा रहा है। इस प्रकार माह अक्तूबर 2017 से अक्तूबर 2018 तक कुल रु. 11700.00 (13x900) का आवास भत्ते के रूप में अधिक भुगतान किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि त्रुटिवश आवास भत्ता प्रदान किया गया। जॉचोपरान्त आवास भत्ते की राशि आगामी वेतन–बिलों से की जाएगी।

अतः आवास भत्ते के रुप में रु0 11,700 के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
52 / 2010–11	1, 2, 3 एवं 4	1, 2 एवं 3	1, 2 एवं 3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
52 / 2010–11	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) रु0 9.82 करोड के व्यय वाउचर

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री सत्य नारायण	वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा	29.05.2010 से 15.11.2010
2.	श्री टीकाराम टम्टा		15.11.2010 से 06.08.2012
3.	श्री अशोक कुमार सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	07.08.2012 से 15.08.2014
4.	श्री प्रेम सिंह		16.08.2014 से 28.09.2014
5.	श्री कैलाश चन्द्र शाक्य		29.09.2014 से 04.10.2014
6.	श्री प्रेम सिंह		05.10.2014 से 05.01.2015
7.	श्री कैलाश चन्द्र शाक्य		06.01.2015 से 16.09.2015
8.	श्री डी0एस0 राजपूत		17.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र